FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय अधिकारी उनियारा (टोंक)

बनाम

किस्म मुकदमा................................नम्बर सन्...20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत कुण्डेर पर पेश हुयी। अपीलान्ट व सचिव ग्राम पंचायत कुण्डेर उपस्थित। उभय पक्ष को सुना गया। अपीलान्ट का कथन है कि खातेदार मोहनलाल की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 79 दिनांक 5-12-2000 स्वीकार करते समय मृतक खातेदार के वारिसान की जांच विधिवत नहीं की है। रेस्पोडेन्ट नं 1 का नाम गलत रूप से अंकित किया गया है। रेस्पोडेन्ट नं 1 मोहनलाल की पुत्र वधु थी जो मोहनलाल के पुत्र तुलसीराम की पत्नी थी। तुलसीराम का वर्षों पूर्व स्वर्गवास हो गया था तथा उसकी पत्नी रेस्पोडेन्ट नं 1 विधवा हो गई थी, जो वर्षों पहले अपना ससुराल छोड़कर ग्राम हरदतपुरा के सुरज्ञान पुत्र भंवरलाल के नाता विवाह कर लिया था वह सुरज्ञान की पत्नी है तथा आज भी उसी के साथ रह रही है। इस कारण	[signature] सचिव ग्राम पंचायत कुण्डेर उनियारा (टोंक)

[signature]

उपखण्ड अधिकारी,
उनियारा

Scanned by CamScanner

रेस्पोंडेन्ट नं. 1 का उसके समक्ष व सर्व प्रति
की अदालत के समक्ष कोई हिस्सा नहीं
रहा है। मुख्यतः बिना जांच के नामांतरकरण दर्ज किया है।
खातेदार मोहनलाल के कोई पुत्र व संतान
नहीं होने से मोहनलाल व उसकी पत्नी
ने अपीलान्ट को अपने जीवन काल में
ही गोद ले लिया था, इस कारण अपीलान्ट
मोहनलाल की विरासत के अधिकार
प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलान्ट
श्री मोहनलाल की पत्नी व उसकी भूमियों
के बराबर का हकदार है। मोहनलाल
देहान्त के बाद अपीलान्ट उक्त खातेदारी की
भूमि पर निरंतर काबिज काश्त है।
रेस्पोंडेन्ट नं. 1 का नाम राजस्व रेकार्ड में
गलत दर्ज किया है। रेस्पोंडेन्ट नं. 1 का
उक्त भूमियों से कोई लेना देना नहीं
रहा है। ग्राम पंचायत ने नामांतरकरण स्वीकार
करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस
सुनवाई हेतु नहीं दिया है। मोहनलाल
व उसकी पत्नी ने स्वयं ने अपीलान्ट को
गोद ले लिया था, परन्तु उस समय
गोदनामा पंजीकृत नहीं करवाया था।
मोहनलाल के मरने के बाद उसकी
पत्नी ने दि. 6.6.16 को प्रार्थी अपीलान्ट
के पक्ष में गोदनामा रजिस्टर्ड करवा
लिया है।

अतः श्रीमान अपीलान्ट स्वीकार
की जाकर नामान्तरकरण संख्या 79 दिनांक
5-12-2000 ग्राम पंचायत कुण्डार रेस्पोंडेन्ट
नं. 1 की हद तक निरस्त किया जावे
तथा अपीलान्ट का नाम दर्ज किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय अधिकारी उनियारा (टोंक)

बनाम

किस्म मुकदमा.................................नम्बर सन्...20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	रेस्पोडेंट नं. 2 ग्राम पंचायत डुगेर के विरुद्ध दिनांक 21-2-18 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। उपस्थित सचिव ग्राम पंचायत द्वारा प्रकरण में कोई जवाब पेश नहीं किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट के द्वारा रजिस्टर्ड गोद पत्र दिनांक 6-6-2016 की छाया प्रति प्रस्तुत की है। राजस्व लोक अदालत में उपस्थित अपीलेन्ट से जानकारी करने पर उनके द्वारा भी अवगत कराया है कि अपीलान्ट देवलाल को खातेदार मोहनलाल ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही गोद ले लिया था। देवलाल भी मोहनलाल का आज्ञाकारी है। रेस्पोन्डेन्ट नं. 1 मोहनलाल के पुत्र तुलसीराम की पत्नी थी। तुलसीराम की मृत्यु काफी वर्षों पूर्व हो चुकी है तथा तुलसीराम की पत्नी मोहनी ने अन्य व्यक्ति से नाता कर लिया है तथा वर्तमान में नातेवाले व्यक्ति के साथ ही निवास कर रही है।	

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा

राजस्व लोक अदालत की भावना को मद्देनजर रखते हुए न्यायालय अपील अपीलार्थी स्वीकार करना उचित समझता है ना.क. 19 ग्राम पंचायत कुण्डल दिनांक 5.12.2000 को खारिज करते हुए प्रकरण तहसीलदार उनियारा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे इस नामांतरकरण की विधि सम्मत सुनवाई की जाकर तीन माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

यह निर्णय आज दिनांक 24-5-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा